पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 22.03.2023

दिनांक 21/22-03-2023 को रात्रि थाना बीकेटी 01, थाना हसनगंज 03 अभियुक्त गिरफ्तार, इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना वजीरगंज-दिनांक 22-03-2023 को थाना वजीरगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती नीलम गुप्ता पत्नी स्व0 रमेश सिंह निवासी जनपद इटावा हाल पता फैज्जुलागंज केशव नगर थाना मडियांव लखनऊ ने थाना वजीरगंज पर सूचना दिया कि वादिनी **के पति रमेश सिंह उम्र करीब 60 वर्ष जो कि ठाकुर ट्रांसपोर्ट** नाका में नौकरी करते थे। दिनांक 21-03-2023 समय करीब 04.30 बजे सुबह प्रतिदिन की तरह घर से ड्यूटी के लिए अपनी स्कूटी यूपी32 बीएन 0260 से जा रहे थे कि समय करीब 5 बजे वादिनी के पति लॉरी अस्पताल के सामने पहुँचे तो सामने से आ रहे एक वाहन डीसीएम यूपी32 एमएन 4101 दुग्ध वाहन के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन तेजी व लापरवाही से चलाकर वादीनी के पति के वाहन में जोरदार टक्कर मार दिया, जिस कारण वादिनी के पति गम्भीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज हेतु वहां मौजूद लोगों द्वारा ट्रामा सेन्टर में ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 88/2023 धारा 279/304-ए/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रभूदयाल द्वारा की जा रही है।**

थाना वजीरगंज-दिनांक 22-03-2023 को थाना वजीरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री अविनाश चन्द्र पुत्र श्री राम केवल तिवारी निवासी ग्राम रामापुर कटरा बाजार गोण्डा ने थाना वजीरगंज पर सूचना दिया कि वादी सेना में पश्चिम बंगाल में कार्यरत है। दिनांक 19-03-2023 को सपरिवार फिरोजपुर (पंजाब) से आकर कैसरबाग बस अड्डा से करनैलगंज जनपद गोण्डा जाने के लिए रोड़बेज बस में बैग रखकर दूसरा बैग व परिवार को लेकर बस में बैठने के लिए जा रहा था कि इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के बैग की चैन खोलकर उसमें रखी काली छोटी बैग जिसमें कीमती जेवरात व जरूरी कागताज थे, को उक्त अज्ञात व्यक्ति / चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। वादी उस दिन सपरिवार अपने घर करनैलगंज जनपद गोण्डा चला गया आज सूचना देने आया है। **इस सूचना पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 89/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री कुलदीप कुशवाहा द्वारा की जा रही है।**

थाना निगोंहा- दिनांक 22-03-2023 को थाना निगोंहा द्वारा बताया गया कि श्री देवेश सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी नन्दौली थाना निगोहा लखनऊ द्वारा थाना निगोहा पर सूचना दी गई कि उसके पिता राजेन्द्र प्रताप सिंह उम्र करीब 48 वर्ष जो शराब पीने के आदी थे और अक्सर शराब के नशे में घर से कई दिनों तक घर से बिना बताए निकल जाते थे, पुनः किसी के माध्यम से या स्वतः वापस आ जाते थे। दिनांक 20.03.2023 को उसके पिता घर से निकल गए थे जिनका शव आज दिनांक 22.03.2023 को समय करीब 10.30 बजे सुबह श्याम सुन्दर दास की बाउन्ड्री के बगल ग्राम शेरपुर लवल में पड़ा मिला। उसकी व उसके पिता की किसी से कोई दुश्मनी व वैमनस्यता नही थी। अधिक शराब का सेवन करने से उसके पिता की मृत्यु हुई है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री विजय प्रताप सिंह मो0नं0- 7880543390 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि** मृतक राजेन्द्र प्रताप सिंह उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र स्व0 कमलेश सिंह जो कि शराब पीने के आदी थे, का शव आज दिनांक 22.03.2023 को बाबू सुन्दर सिंह इंजी0 कालेज की बाउण्ड्री के पास मिला। मृतक के 02 पुत्र है।